



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1664 औ०सं०/उनिलि/तदर्थ अनुग्रह धनराशि/2012

दिनांक : 23 अक्टूबर, 2013

(1) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2),

अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०,  
अनपरा/ओबरा (सोनमद्र)/पारीछा (झॉसी)/(कासिमपुर अलीगढ़)/पनकी (कानपुर) ।

(2) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2)

पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन,  
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, भवन विस्तार, लखनऊ ।

(3) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त),

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषय :- वर्ष 2012-2013 हेतु बोनस भुगतान अधिनियम-1965 के अन्तर्गत बोनस का भुगतान करने एवं जो कार्मिक उक्त अधिनियम से आवरित नहीं है, को शासन/पा०का०लि० की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि ऐसे कार्मिक जो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 से आवरित है उन्हें उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2012-2013 हेतु बोनस का भुगतान किया जाये। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 2(13) तथा 2 (21) में कमशः Employee तथा Wages की परिभाषा निम्नवत् है :-

“Employee” means any parson(other than an apprentice) employed on a salary or wages not exceeding (ten thousand rupees) per menses in any industry to do any skilled or unskilled manual supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or rewards whether the terms of employment be express or implied.”

“Salary or Wages” means all remuneration (other than remuneration in respect of overtime work) capable of being expressed in term of money, which would, if the terms of employment, express or implied, where fulfilled, be payable to an employee in respect of his employment or of work done in such employment and includes dearness allowance (that is to say, all cash payments, by whatever name called, paid to an employee on account of a rise in the cost of living), but does not include .....

- (i) Any other allowance which the employee is for the time being entitled to
- (ii) the value of any house accommodation or supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service or of any concessional supply of food grains or other articles.
- (iii) any travelling concession.
- (iv) any bonus (including incentive, production and attendance bonus).
- (v) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or for the benefit of the employee under any law for time being in force.
- (vi) any retrenchment compensation or any gratuity or any exgratia payment made to him.
- (vii) any commission payable to the employee.

Explanation ..... where an employee is given in lieu of the whole or part of the salary or wages payable to him, free food allowance or free food by his employer, such food allowance or the value of such food shall, for the purpose of his clause, be deemed to form part of the salary or wages of such employee.

उक्त को संज्ञान में लेते हुए लेखा वर्ष 2012-13 के लिए वे कर्मचारी जो बोनस भुगतान अधिनियम से आवरित है तथा मूल वेतन, ग्रेड पे तथा महंगाई भत्ता मिलाकर रू० दस हजार प्रतिमाह तक आहरित करते हों, को सम्बन्धित लेखा वर्ष में आहरित वेतन/मजदूरी का 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। उक्त धनराशि का आगणन रू० 3500/- प्रतिमाह वेतन/मजदूरी मानकर ही किया जायेगा।

बोनस का भुगतान अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा बशर्ते कि कर्मचारी ने उक्त वित्तीय वर्ष में तीस दिन से कम कार्य न किया हो।

ऐसी परिस्थितयाँ जहाँ किसी कर्मचारी के misconduct के कारण निगम की वित्तीय हानि हुई है, तो उस लेखा वर्ष हेतु बोनस में से आनुपातिक कटौती कर ली जायेगी।

ऐसे कर्मचारी अनुग्रह धनराशि पाने के अधिकारी नहीं होंगे जो निम्नलिखित कारणों से निगम की सेवा से मुक्त कर दिये गये हैं :-

- (अ) प्रवचन (फॉड) अथवा
- (ब) निगम अधिष्ठान परिसर में उपद्रव अथवा हिंसात्मक आचरण अथवा
- (स) चोरी, निगमीय धन का दुरुपयोग या निगम की सम्पत्ति के तोड़फोड़ के आरोप में।

साथ ही अधिनियम की धारा 12, 13, 14 तथा 15 को भी संज्ञान में लेते हुए बोनस भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे।

जो कार्मिक उक्त अधिनियम की परिधि से बाहर है परन्तु शासन/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा जारी तदर्थ अनुग्रह धनराशि की देयता की परिधि में आते हैं को तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जाय। अतः उक्त अधिनियम की परिधि से बाहर उन पूर्णकालिक अराजपति कर्मचारियों को वर्ष 2012-13 हेतु शासन/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-



1. नई वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 4800/- तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में अधिकतम रू0 13500/- से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य होगी।
2. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2013 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
3. तदर्थ अनुग्रह राशि के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2013 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आंगणित की जायेगी।
4. दिनांक 31 मार्च, 2013 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रू0 3500/- से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 3500/- की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च, 2013 को 30 दिन की परिलब्धियाँ  $(3500 \times 30 / 30.4 = 3453.95)$  अर्थात् रू0 3454/- तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होंगी।
5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2012-2013 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि देय न होगी।
6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रहराशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात् अगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रहराशि की आंगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को 1 रू0 मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।
8. कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2013 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2013 तक 1 वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240, दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्मिलित कर्मचारी, के लिए मासिक परिलब्धियाँ रूपये 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रूपया  $1200 \times 30 / 30.4 = 1184.21$  अर्थात् रूपये 1184 पूर्णांकित होंगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रूपये 1200/- प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि की वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंगणित की जायेगी।
9. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2013 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 जून, 2014 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनको अनुमन्य अनुग्रह धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।
10. वर्ष 2012-2013 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को निगम के आय-व्ययक 2013-2014 के नामे डाला जायेगा।




। अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर ऑफ एथोरिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और निगम के उक्त आदेश के आधार पर ही 2012-2013 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा।

कृपया उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(एस०के० विद्यार्थी)  
मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)

संख्या: 1604 औ०सं०/उनिनि/अनुग्रह धनराशि/2012 तददिनांक :

- (1) मा० ऊर्जा मंत्री, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
- (4) निदेशक (कार्मिक)/ (वित्त)/ (तकनीकी), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, के निजी सचिव लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक (मा०सं०)/ (वाणिज्य)/जानपद/(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/ईधन (आर० एण्ड एम०) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (6) समस्त उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र०रा०वि०उ०नि० लि०, लखनऊ स्थित।
- (7) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (8) मुख्य प्रबन्धक, (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (9) समस्त उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (10) मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (11) कट फाइल।

  
(एस०के० विद्यार्थी)  
मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)  
22/11/2013